बजट 2011-2012 की मुख्य विशेषताएं

अवसर

- 2010-11 में तीव्र और व्यापक विकास से अर्थव्यवस्था संकट-पूर्व के विकास पथ पर वापस आ गई है। राजकोषीय समेकन प्रभावशाली रहा है।
- निर्णायक संस्थागत सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति जो निकट भविष्य में द्विअंकीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के वर्धित प्रवाहों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गतिशीलता।

चुनौतियां

- मुद्रास्फीति प्रबंधन संबंधी ढांचागत चिंताओं का समाधान बढ़ती घरेलू मांग के अनुसार कृषि संबंधी आपूर्ति बढ़ाकर तथा सुदृढ़ राजकोषीय समेकन के माध्यम से किया जाएगा।
- क्रियान्वयन में अंतर, सार्वजनिक कार्यक्रमों से उत्पन्न अपव्यय और परिणामों में गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती है।
- सरकार में विपथन और सार्वजनिक जवाबदेही में कमी की छवि है। भ्रष्टाचार की समस्या का मिलकर मुकाबला करना होगा। सरकार को विनियमक मानदण्डों और प्रशासनिक क्रियाओं में सुधार लाना होगा।
- व्यापक राष्ट्रीय हित में सदन के दोनों पक्षों के सहयोगियों से जानकारी की आवश्यकता है।
- बजट 2011-12 को भारत में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबंधन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में प्रयोग करना है।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

- 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुतः 8.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय समुत्थानशीलता दिखाई है।
- इस वर्ष खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर बढ़ोतरी मुख्य चिंता का विषय है।
- खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार आने के बावजूद, उपभोक्ताओं को कीमतों की मौसमी गिरावट का फायदा नहीं मिला जिससे वितरण और विपणन प्रणालियों में खामियों का पता चलता है।
- आगामी महीनों में मुद्रास्फीति को और कम करने के लिए मौद्रिक नीतिगत उपाय किए गए।

- अप्रैल-जनवरी 2010-11 के दौरान, विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 29.4 प्रतिशत और आयात में 17.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में +/-0.25 प्रतिशत के बाह्य बैंड के साथ 9 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।
- अगले वर्ष औसत मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा कम होने की संभावना है।

सतत विकास

राजकोषीय समेकन

- केन्द्र और राज्य स्तर पर सांविधिक राजकोषीय समेकन लक्ष्यों ने अर्थव्यवस्था के वृहत आर्थिक प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।
- एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में संशोधन से अगले पांच वर्षों के लिए राजकोषीय खाका तैयार किया जाएगा।
- अगले वित्त वर्ष भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है।

कर सुधार

- प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को 2011-12 के दौरान अधिनियमन करने हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह संहिता 1 अप्रैल, 2012 से लागू करने का प्रस्ताव है।
- प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों से मतभेदों को कम किया गया है। जीएसटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए संसद के इस सत्र में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

- जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को स्थापित करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो जीएसटी शुरु करने के लिए आईटी अवसंरचना के रूप में उपयोगी होगा।

व्यय सुधार

- आयोजना, आयोजना-भिन्न, राजस्व तथा पूंजी व्यय में मौजूदा वर्गीकरण पर विचार करने के लिए एक समिति का पहले ही गठन।

सब्सिडी

- पोषक आधारित सब्सिडी (एनपीएस) ने उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाई है। सरकार यूरिया को शामिल करने के लिए इसके विस्तार पर सक्रियता से विचार कर रही है।
- सरकार चरणबद्ध तरीके से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नकद सब्सिडी सीधे देने की दिशा में अग्रसर होगी। मिट्टी का तेल, एलपीजी और उर्वरक के प्रत्यक्ष अंतरण की प्रस्तावित प्रणाली के लिए तौर-तरीके तैयार करने के लिए कार्यबल।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोगों का स्वामित्व

- चालू वित्त के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सार्वजनिक निर्गम को जबर्दस्त प्रतिक्रिया।
- कर-भिन्न राजस्व में आशा से अधिक वसूली हो जाने से मौजूदा वर्ष के लिए योजना बनाए गए कुछ विनिवेश मुद्दों में से कुछ की नए सिरे से योजना।
- वर्ष 2011-12 में विनिवेश के जरिए 40,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएँगे।
- सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व तथा प्रबंधन नियंत्रण को कम से कम 51 प्रतिशत बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध।

निवेश माहौल

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने के लिए विचारविमर्श जारी।

वित्तीय संस्थागत निवेशक

- सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंडों को इक्विटी योजनाओं के लिए केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विदेशी निवेशकों से अभिदान स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।
- अवसंरचना क्षेत्र में निधियों का प्रवाह बढ़ाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में जारी कारपोरेट बांडों में निवेश की एफआईआई सीमा बढ़ाना।

वित्तीय क्षेत्र विधायी पहल

- वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की प्रक्रिया के लिए 2011-12 में वित्त क्षेत्र में और विभिन्न विधानों का प्रस्ताव।
- निजी क्षेत्र के भागीदारों को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस के संदर्भ में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पूंजीकरण

- 2011-12 के दौरान 6,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 8 प्रतिशत पर न्यूनतम टीयर-1 सीआरएआर रखने में सक्षम हों।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था ताकि वे 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 9 प्रतिशत का सीआरएआर रखने में समर्थ हों।
- सिडबी के साथ 100 करोड़ की राशि से ''इण्डिया माइक्रोफाइनांस इक्विटी फंड्स'' का सृजन। छोटे उधारदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार का इसे समुचित विनियामक संरचना में लागू करने का विचार।
- 500 करोड़ रुपए की निधि से 'महिला एसएचजी विकास निधि' का सृजन।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

- आरआडीएफ XVII की आधारभूत निधि को बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपए किया जाएगा।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम

- सिडबी को बैंकों द्वारा इन उद्यमों को वृद्धिशील उधार के पुनर्वित्त पोषण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
- हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों जोकि आर्थिक संकट से जूझ रहे हथकरघा बुनकरों के ऋण वापस न करने के कारण अलाभकारी हो गयी थी, की सहायता के लिए नाबार्ड को 3,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रगत ऋण के अन्तर्गत बकाया ऋणों के रूप में 15 प्रतिशत ऋण अल्प संख्यक समुदायों के बीच बांटने का लक्ष्य।

आवास क्षेत्र वित्त

- आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्याज सहायता की मौजूदा स्कीम को और उदार बनाया गया ।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत रिहाइशी इकाइयों के लिए आवास ऋण की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 25 लाख किया गया है।
- ग्रामीण आवास निधि के तहत प्रावधान को बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए किया गया है।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह की ऋण सीमा को बढ़ाना और राजीव आवास योजना के तहत गिरवी जोखिम गारन्टी कोष का सृजन।
- एक ही अचल सम्पत्ति पर बहुत व्यक्तियों द्वारा ऋण लेने सम्बन्धी धोखा-धड़ी की रोकथाम के लिए केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री 31 मार्च 2011 तक कार्य करना आरंभ करेगी।

वित्तीय क्षेत्र विधायन सुधार आयोग

- वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों तथा विनियमनों के पुनर्लेखन तथा सरलीकरण व प्रवाहीकरण के लिए वित्तीय क्षेत्र विधायन सुधार आयोग।
- चालू सत्र के दौरान लोक सभा में कंपनी विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव।

कृषि

- फलों, सब्जियों, दूध, मांस, अंडे और मछली आदि के उत्पादन व संवितरण में बाधाओं को हटाने पर विशेष जोर।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत आवंटन 6,755 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,860 करोड़ रुपए किया गया है।

पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाना

- इस क्षेत्र में चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार करना, 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास

- वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 तिलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन।

ऑयल पाम का संवर्धन

- ऑयल पाम के पौध रोपण के अधीन 60,000 हेक्टेयर लाने हेतु 300 करोड़ रुपए का आवंटन। पांच वर्षों में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल वार्षिक रुप से प्राप्त होगा।

सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम

- प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर क्वालिटी सब्जियां उपलब्ध कराने हेतु सब्जी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए का आवंटन।

पोषक अनाज

- बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज जो अत्यंत पौष्टिक होते हैं और उनमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं, के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन।

राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन

- पशुधन विकास, डेयरी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए पशुजन्य प्रोटीन को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन।

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम

- त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन जिससे 25,000 गांवों के किसान लाभान्वित होंगें।

राष्ट्रीय सतत कृषि उत्पादन मिशन

- सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ परम्परागत कृषि पद्धतियों को मिलाकर जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देगी।

कृषि ऋण

- 2011-12 में किसानों के लिए 3,75,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह को बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव।

- उन किसानों को जो अपना फसल ऋण समय पर अदा करते हैं, को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

- कृषि के लिए ऋण के बढ़े लक्ष्य को देखते हुए नाबार्ड के पूंजी आधार को चरणबद्ध तरीके से 3,000 करोड़ रुपए प्रदान कर मजबूत करना है।

- 2011-12 के लिए नाबार्ड अल्पावधि ग्रामीण ऋण निधि में 10,000 करोड़ रुपए का अंशदान।

मेगा फूड पार्क

- 2011-12 में 15 और मेगा फूड पार्कों की स्थापना की मंजूरी।

भंडारण क्षमता और कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला

- निजी उद्यमियों और भांडागारण निगमों के जरिए भंडारण क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया तेज की गई है।

- आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के लिए उपयुक्त होगा।

कृषि उपज विपणन अधिनियम

- मुद्रास्फीति की हाल की घटना के मद्देनजर राज्य सरकारों के लिए सुधरे हुए कृषि उपज विपणन अधिनियम की समीक्षा और लागू करने की आवश्यकता।

अवसंरचना और उद्योग

- 2011-12 में अवसंरचना के लिए 2,14,000 करोड़ रुपए का आवंटन। इसमें 2010-11 के मुकाबले 23.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यह कुल आयोजना आवंटन की 48.5 प्रतिशत हैं।

- सरकार पीपीपी परियोजनाएँ तैयार करने हेतु एक व्यापक नीति तैयार करेगी।

- आईआईएफसीएल को 31 मार्च, 2011 तक 20,000 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2012 तक 25,000 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण लक्ष्य हासिल करना है।

- टेकआउट फाइनंसिंग स्कीम के तहत 1,500 करोड़ रुपए के ऋण के साथ सात परियोजनाएं स्वीकृत। 5,000 करोड़ रुपए की अन्य राशि 2011-12 में मंजूर की जाएगी।

- अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपक्रमों द्वारा 2011-12 के दौरान 30,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बॉण्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

- स.घ.उ. में विनिर्माण का हिस्सा 10 वर्ष की अवधि में 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत होने की संभावना। सरकार विनिर्माण नीति लाएगी।

- प्राकृतिक संसाधनों की अधिप्राप्ति नीति एवं आवंटन, कीमत निर्धारण और उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए दो समितियों का गठन।

- अवसंरचना और खनन से जुड़ी गतिविधियों सहित विविध गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान से संबंधित सभी विषयों पर मंत्रिदल द्वारा विचार किया जाएगा।

- हाईब्रिड और इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय मिशन।
- दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू, कोलकोता और चेन्नई में मेट्रो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- उर्वरक उत्पादन में अवसंरचनात्मक उपक्षेत्र के रूप में पूंजी निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव।

निर्यात

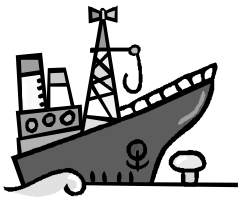

- वाणिज्य विभाग द्वारा गठित लेन-देन लागत पर कार्य बल द्वारा किए गए 23 सुझावों में से 21 सुझावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष दो सुझावों पर कार्य किया जाना है। इस प्रकार 2,100 करोड़ रुपए की लेन-देन लागत कम हो जाएगी।
- सीमाशुल्क प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, सीमा शुल्क प्रशासन में स्वनिर्धारण की शुरूआत की जाएगी।
- वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त करों से संबंधित वापसी के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव।
- चमड़ा उत्पादों के लिए मेगा क्लस्टर स्कीम लागू की जाएगी। 2011-12 के दौरान सात बड़े चर्म समूहों की स्थापना की जानी है।

- हथकरघा मेगा कल्स्टर के विकास हेतु जोधपुर को भी शामिल करना।

काला धन

- काले धन बनाने और उसका इस्तेमाल करने की समस्या से निपटने के लिए एक पांच सूत्री कार्य योजना लागू की जाएगी।
- काले धन के विरूद्ध लड़ाई लड़ने, वित्तीय ईमानदारी और आर्थिक विकास,कर प्रयोजनार्थ और पारदर्शिता हेतु सूचना के आदान प्रदान में लगे विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मंचों की सदस्यता प्राप्त करना।
- विभिन्न कर सूचना आदान प्रदान करार (टीआईईए) और दोहरे कराधान परिवर्तन करारों को शामिल किया गया। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विदेशी कर प्रभाग को कर सूचना के आदान-प्रदान और अंतरण मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों को निपटाने हेतु सुदृढ़ किया गया है।
- संशोधित धन शोधन कानून के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की बढ़ी संख्या से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कर्मचारी संख्या बढ़ाकर तीन गुणा की गई।
- देश के बाहर एवं देश में रखे गए धन के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया जाएगा ।
- स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए नियंत्रणों को कठोर बनाने के लिए निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय नीति घोषित की जाएगी।

समावेशी सुदृढ़ीकरण

- इस वर्ष संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया जाएगा।
- 2011-12 में सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित आवंटन (1,60,887 करोड़ रुपए) मौजूदा वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़ाया गया है। यह कुल आयोजना आवंटन का 36.4 प्रतिशत है।

भारत निर्माण

- भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए मौजूदा वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करके 2011-12 में 58,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
- देश में 3 वर्ष में सभी 250,000 पंचायतों को ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्टिवीटी मुहैया कराने की योजन।

मनरेगा

- 100 रुपए की वास्तविक दैनिक मजदूरी दिलाने के बारे में पिछली बजट घोषणा के अनुसरण में सरकार ने मनरेगा के तहत् कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। इससे 14 जनवरी 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी दरें बढ़ गई है। इसके चलते देश भर में फैले लाभार्थियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।
- 1 अप्रैल, 2011 से आंगनवाड़ी कर्मियों तथा आंगनवाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ा कर 1500 रुपए प्रतिमाह और 750 रुपए प्रतिमाह से क्रमशः 3,000 रुपए और 1,500 रुपए करने की घोषणा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना

- बजट में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए विशिष्ट आबंटन निर्धारित किया गया है।
- जनजातीय वर्गों के लिए 2010-11 में किए गए 185 करोड़ रुपए के बजट आबंटन को बढ़ाकर 2011-12 में 244 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

शिक्षा

- शिक्षा हेतु आबंटन में मौजूदा वर्ष से 24 प्रतिशत की वृद्धि।

सर्व शिक्षा अभियान

- 21,000 करोड़ रुपए आबंटित जो बजट 2010-11 से 40 प्रतिशत अधिक है।
- कक्षा नौ और दस में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जरूरत मंद छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम की शुरूआत।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

- आप्टीकल फाइबर बैकबोन के जरिए सभी 1500 उच्चत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों को मार्च 2012 तक कनेक्टिविटी मुहैया कराना।

नवाचार

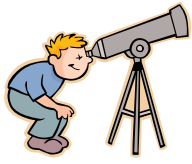

- भारत में नवाचारों के सूत्रपात की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार परिषद का गठन।
- उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थानों को विशेष अनुदान मुहैया कराए गए।

कौशल विकास

- अगले वर्ष राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को अतिरिक्त 500 रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव।
- गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर की स्मृति में विश्व-बन्धुत्व के मूल्यों के संवर्धन के लिए 1 करोड़ रुपए का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य के लिए आयोजना आबंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार का दायरा बढ़ा।

वित्तीय समावेशन

- 2000 से अधिक की सभी 73,000 बसावटों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य मार्च 2012 तक पूरा किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र

- सरकारी पेंशन स्कीम स्वावलंबन के तहत निकासी मानकों में रियायत वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान स्वावलंबन योजना में नामांकित हो चुके सभी अंशधारकों को पांच वर्षों तक सरकारी अंशदान का फायदा देने का प्रस्ताव।
- गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत पात्रता में रियायत देते हुए अर्हक आयु को 65 से घटाकर 60 वर्ष करना और 80 वर्ष या इससे अधिक आयुवाले वृद्धों की पेंशन को 200 प्रतिमाह के स्थान पर 500 रुपये करना।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

वन

- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से हरित भारत मिशन को 200 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव।

पर्यावरणीय प्रबंधन

- पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रम आरंभ करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव।

नदियों और झीलों की सफाई

- कुछ और महत्वपूर्ण झीलों तथा नदियों की सफाई के हेतु 200 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन प्रस्तावित।

कुछ अन्य पहल

- पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास को बढ़ाने हेतु विशेष सहायता दुगुनी।
- प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के भाग के रूप में जम्मू-कश्मीर की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए चालू वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए।

- लद्दाख और जम्मू क्षेत्र के लिए अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रमशः 100 करोड़ रुपये तथा 150 करोड़ रुपये का आवंटन।

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी।

- वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) को निधियाँ आवंटित। 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 25 और 30 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत ब्लॉक अनुदान।

- चिकित्सा के आधार पर नौकरी से निवृत्त रक्षा और अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 9 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति।

- वर्ष 2011-12 में रक्षा सेवाओं के लिए 69,199 करोड़ रुपए के पूँजीगत व्यय सहित 164,415 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- कानूनी अवसंरचना निर्माण हेतु, आयोजना प्रावधान में तिगुनी वृद्धि कर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।

जनगणना 2011

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर जातियों की गणना के लिए एक पृथक समयबद्ध कवायद की जाएगी।

शासन में सुधार

यूआईडी मिशन

- 1 अक्तूबर, 2011 से प्रतिदिन 10 लाख नंबर सृजित किए जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- कुशल कर प्रशासन के लिए विभिन्न आईटी पहल जिसमें ई-फाइलिंग, करों का ई-भुगतान, सीबीईसी और सीबीडीटी द्वारा 'सेवोत्तम' की संकल्पना को अपनाना, करदाताओं के लिए वेब-आधारित सुविधा जिससे वे धनवापसी का निपटान और पूर्व-प्रदत्त करों का क्रेडिट तथा प्रक्रिया क्षमता के संवर्धन को ट्रैक कर सकें।

- वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजनाओं के लिए मिशन मोड परियोजना के तहत निधियाँ जारी। इनसे राज्य वस्तु एवं सेवा कर को शुरू कर सकेंगे।

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक शीघ्र।

- राज्यों को उनके स्टाम्प और पंजीकरण प्रशासन के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए मिशन मोड परियोजना के तहत लिए 300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक नई योजना।

- संभावित कराधान के कार्य क्षेत्र में आने वाले छोटे करदाताओं के अनुपालन भार को कम करने हेतु एक नया सरलीकृत विवरणी प्रपत्र 'सुगम'।

- समझौता आयोग की तीन पीठ की स्थापना।

- मुकदमों में कमी लाने के लिए अनेक कदम और उच्च राजस्व वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित।

भ्रष्टाचार

- भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन। सिफारिशें समयबद्ध तरीके से की जाएंगी।

निष्पादन मानीटरिंग मूल्यांकन प्रणाली

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में निष्पादन मानीटरिंग मूल्यांकन प्रणाली के तहत 62 विभागों को उनकी प्रभाविता के मूल्यांकन के लिए शामिल किया गया है।

टैगप

- टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स (टैगप) की सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई हैं और स्वीकार कर ली गई हैं।

बजट अनुमान 2011-12

- सकल कर प्राप्तियों के 932,400 करोड़ रुपए होने का अनुमान।
- कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के 1,25,435 करोड़ रुपए होने का अनुमान।
- 12,57,729 करोड़ रुपए का कुल व्यय प्रस्तावित।
- आयोजना व्यय में 18.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- आयोजना-भिन्न व्यय में 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

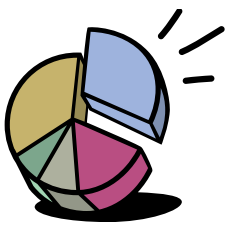

- ग्यारहवीं योजना का व्यय सामान्यतः इस योजना अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय के 100 प्रतिशत से अधिक है।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले आयोजना और आयोजना-भिन्न अंतरण में 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।
- ब.अ. 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत से घटाकर सं.अ. 2010-11 में 5.1 प्रतिशत किया।
- वर्ष 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत पर रखा गया है।
- वर्ष 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को प्रगामी रूप से घटाकर 3.5 प्रतिशत किया जाना है।
- "प्रभावी राजस्व घाटा" 2010-11 और 2011-12 के संशोधित अनुमानों में 2.3 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत अनुमानित है।
- सब्सिडी संबंधी सभी देनदारियों को राजकोषीय हिसाब-किताब में लिया जा रहा है।
- वर्ष 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकार की निवल बाजार उधार 3.43 लाख करोड़ रुपए होगा।
- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथानिर्देशित 52.5 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 के लिए केंद्र सरकार अनुमानित ऋण स.घ.उ. का 44.2 प्रतिशत।

भाग ख कर प्रस्ताव

प्रत्यक्ष कर

- 2,000 रुपये की समान कर राहत देते हुए व्यष्टि करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा बढ़ाना तथा अर्हता आयु घटाना।
- अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष या उससे अधिक, हेतु अधिक छूट सीमा ।
- घरेलू कंपनियों पर 7.5 प्रतिशत का मौजूदा अधिभार घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को बही लाभों के 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां आकर्षित करने के लिए कर छूट।
- दीर्घावधिक अवसंरचना बांड में निवेश हेतु 20,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती अगले एक वर्ष तक जारी रखना।

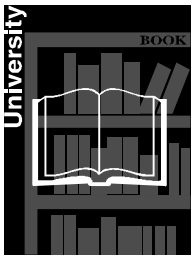

- किसी भारतीय कंपनी द्वारा उसकी विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांशों पर कर की 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर ।
- उर्वरक के उत्पादन में लगे व्यावसायिकों को निवेश आधारित कटौती का लाभ प्रदान करना।
- वहनीय आवास विकसित करने में लगे व्यवसायों के लिए निवेश आधारित कटौती।
- राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को दी गई अदायगियों पर भारांश कटौती बढ़ाकर 200 प्रतिशत करना।
- विदेशी कर क्षेत्राधिकार से सूचना प्राप्त करने की प्रणाली को मजबूत करना।
- प्रस्तावों के फलस्वरूप 11,500 करोड़ रुपये की निवल राजस्व हानि होने का अनुमान ।

अप्रत्यक्ष कर

- जीएसटी अपनाने की प्रतिबद्धता।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 10 प्रतिशत की मानक दर पर रखाव।
- केंद्रीय उत्पाद दर संरचना में कई छूटों में कटौती।
- कर के दायरे में आने वाली 130 वस्तुओं पर 1 प्रतिशत का नाममात्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क ।

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना।
- ब्रांडेड परिधानों अथवा वस्त्रों पर लगने वाली वैकल्पिक शुल्क का 10 प्रतिशत की एक ही दर पर अधिदेशित शुल्क में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव।
- सीमा शुल्क की शीर्ष दर उसके मौजूदा स्तर पर रखना।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र

- कृषि उपज हेतु भण्डारण और भाण्डागार सुविधाओं हेतु आवश्यक उपस्करों को शामिल करने के लिए उत्पाद शुल्क से छूटों का दायरा बढ़ाना।
- विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना।
- लघु-सिंचाई के उपस्कर पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- तेल निकाली गई धान की भूसी की खली को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट। इसके निर्यात पर 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाना।

विनिर्माण सेक्टर

- आयातों की अपेक्षा घरेलू मूल्य वर्धन की बढ़ावा देने शुल्क प्रतिलोमन और विसंगतियों को दूर करने तथा घरेलू उद्योग को बराबरी के अवसर देने हेतु विभिन्न मदों हेतु बुनियादी सीमा शुल्क घटाना।
- सभी प्रकार के लौह अयस्क के लिए निर्यात शुल्क की दर बढ़ाकर 20 प्रतिशत यथामूल्य पर एक समान करना। लौह अयस्क गुटिकाओं को निर्यात शुल्क से पूरी छूट।
- सीमेंट उद्योग के दो अति महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों अर्थात् पेटकोक और जिप्सम पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- कैश डिसपेन्सों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट।

पर्यावरण

- इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माताओं द्वारा आयातित बैटरियों पर बुनियादी शुल्क से पूरी छूट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 4 प्रतिशत की रियायती दर।
- ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित वाहनों पर 10 प्रतिशत की रियायती उत्पाद शुल्क।
- हाइब्रिड वाहनों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूर्जों/सब-एसेम्बलियों पर बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष सीवीडी से पूरी छूट।
- जीवांश ईंधन वाहनों को हाइब्रिड वाहनों में बदलने हेतु उपयोग में आने वाले किट पर उत्पाद शुल्क में छूट।
- एलईडी पर उत्पाद शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और विशेष सीवीडी से पूरी तरह छूट।
- सौर लालटेन पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- लॉन्ड्री सोप के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले कच्चे पॉम स्टेरिन को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट प्रदान करना।
- टैनिंग-पूर्व के लिए एन्जाइम आधारित सामग्री को बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी छूट।

अवसंरचना

- मौजूदा मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए समतुल्य उत्पादन शुल्क छूट।
- जैव-आधारित डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट मशीनरी पर बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी छूट।

- आम जनता के लिए खुली निजी कला दीर्घाओं में प्रदर्शनी अथवा प्रदर्शन हेतु रखी जाने वाली कलाकृतियों और पुरावशेषों को बुनियादी सीमाशुल्क से मिलने वाली छूट का विस्तार।
- पोत मरम्मत इकाइयों के लिए आवश्यक कलपुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं को आयात शुल्क से छूट तथा पोत मालिकों को भी यह छूट प्रदान करना।
- अखबार प्रतिष्ठानों को हाई-स्पीड प्रिंटिंग प्रेसों के आयात पर मिलने वाला 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा शुल्क और 5 प्रतिशत का सीवीडी मेलरूम इक्विपमेंट के आयात पर भी प्रदान करना।

- सीवीडी से पूर्णतः मुक्त सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के जम्बो रोलर को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट।
- कारखाना निर्मित एम्बुलेसों को उत्पाद शुल्क से तत्काल रियायत।
- कच्चे पिस्ता, अगरबत्ती के लिए बांस, होमियो पैथिक दवाओं के विनिर्माण के लिए लैकटोज, सैनिट्री नैपकिनों, बेबी और एडल्ट डायपरों के लिए राहत उपाय प्रस्तावित ।
- सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी प्रस्तावों से 7,300 करोड़ रुपए के राजस्व लाभ का अनुमान।

सेवा कर

- वर्तमान सेवा कर प्रणाली और इसके उत्तरवर्ती वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तालमेल बैठाते हुए सेवा कर की मानक दर को 10 प्रतिशत पर बनाए रखना।
- 1000 रुपए प्रति दिन के होटल आवास और ऐसे एयरकंडीशनयुक्त रेस्तराओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है, को सेवा कर लगाने हेतु नई सेवाओं के रूप में शामिल करना।
- 25 अथवा इससे अधिक बिस्तरों के साथ सेन्ट्रल एयर कंडीशनिंग सुविधा वाले अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर कर ।

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की हवाई यात्राओं पर सेवा कर।
- निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा कुछ और विधिक सेवाओं को कर के दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव।
- सभी व्यक्तियों और 60 लाख रुपए के कारोबार वाले एकल प्रोप्राइटर कर दाताओं को लेखा परीक्षा की औपचारिकताओं से मुक्त करना।
- स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु सेवा कर के दण्डात्मक प्रावधआनों को युक्तिसंगत बनाना। इसी प्रकार के परिवर्तन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क कानून में करना।
- सेवा कर से संबंद्ध प्रस्तावों के फलस्वरूप 4,000 करोड़ का निवल राजस्व लाभ।
- प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों से 11,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि और अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों से 11,300 करोड़ रुपए के निवल लाभ का अनुमान ।